प्रेस नोट 01- दिनांक 16.05.2024
थाना आसीवन,जनपद उन्नाव।

जनसेवा केन्द्र में काम करने वाले युवक के साथ लूट करने वाले तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया

लूटा गया सामान (55,000/- रु0, एक अदद लैपटॉप, चार पासबुक, एक अदद मोटरसाइकिल, एक कीपैड मोबाइल), एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिंदा कारतूस व दो अदद खोखा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त एक अपाचे मोटरसाइकिल अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद की गई

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय दक्षिणी एंव क्षेत्राधिकारी महोदय बांगरमऊ के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना आसीवन पुलिस एवं एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा तीन शातिर लुटेरों को लूटे गये सामान (55,000/- रु0, एक अदद लैपटॉप, चार पासबुक, एक अदद मोटरसाइकिल, एक कीपैड मोबाइल), एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय एक अदद जिंदा कारतूस व दो अदद खोखा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त एक अपाचे मोटरसाइकिल बरामद कर गिरफ्तार किया गया तथा एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 11.05.2024 को वादी श्री मो0 सलीम पुत्र रसूल बक्श नि0 ग्राम पेसारी थाना आसीवन जनपद उन्नाव द्वारा थाना आसीवन पर तहरीरी सूचना दी गई कि मेरा पुत्र मो0 फाईम जो कि जनसेवा केन्द्र नंगाखेड़ा चौराहा में काम करता है, दिनांक 10.05.2024 को जनसेवा केन्द्र से वापस अपने घर आ रहा था तभी टिकाना मोड़ पर मेरे पुत्र की मोटरसाइकिल को दो स्पलेन्डर सवार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा रोककर उससे बैग छीनने लगे तथा विरोध करने पर उसके पैर पर फायर किया तथा मेरे पुत्र की मोटरसाइकिल व बैग जिसमें रूपये, लैपटाप, फिंगर मशीन आदि थी, लेकर चले गये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना आसीवन पर मु0अ0सं0 119/24 धारा 394 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 16.05.2024 को थाना आसीवन पुलिस, एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा थाना आसीवन क्षेत्रांतर्गत चौधरीखेड़ा नहर पुल के पास मोटरसाइकिल अपाचे UP32PB1840 व मोटरसाइकिल हाण्डा सी0डी0 110 ड्रीम UP35AH1132 में सवार अभियुक्तगण 1. आकाश कुमार वर्मा पुत्र रामनरेश वर्मा निवासी

मोहरा कला थाना गोसाईगंज लखनऊ उम्र करीब 24 वर्ष 2. विपिन वर्मा पुत्र शोभनाथ वर्मा निवासी जयनगरा थाना शिवरतन गंज जिला अमेठी उम्र करीब 24 वर्ष 3. सुमित उर्फ शीबू पुत्र इन्द्रपाल निवासी मोहरा कला थाना गोसाईगंज लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष को हिरासत में लिया गया तथा साथी 4. बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया। जामातलाशी में अभियुक्त आकाश कुमार वर्मा उपरोक्त के कब्जे से 22000/- रुपये व एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा दो अदद खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुए तथा अभियुक्त विपिन वर्मा उपरोक्त के कब्जे से एक बैग में HP कम्पनी का लैपटाप व आर्यवर्त बैंक कुरसठ की 04 अदद पासबुक 13800 रुपये बरामद हुए तथा अभियुक्त सुमित उर्फ शीबू उपरोक्त के कब्जे से 19,200 रुपये बरामद हुए एवं बाल अपचारी के कब्जे से एक अदद सैमसंग कम्पनी का कीपैड मोबाइल बरामद हुआ।

पूछताछ में अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि बाल अपचारी व अभियुक्त विपिन ने मिलकर लखनऊ से कीपैड मोबाइल व स्प्लेन्डर मोटरसाइकिल चोरी किया था तथा दिनांक 10.05.2024 को शाम के समय अभियुक्त विपिन व अपने एक अन्य साथी आदर्श साहू पुत्र राधेश्याम निवासी बेलीकला थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ द्वारा टिकाना मोड़ के पास एक जनसेवा संचालक व्यक्ति को गोली मारकर उसके पास से बैग में रखा 1,00,000/- रूपये, लैपटाप व फिंगर मशीन तथा उसकी मोटरसाइकिल UP35AH1132 होण्डा ड्रीम छीन लिये थे और अपनी स्पलेण्डर मोटरसाइकिल जो कि लखनऊ से चोरी किया था मौके पर स्टार्ट न होने के कारण वहीं पर छोड़ दिया था। लूटी गई फिंगर मशीन आदर्श साहू उपरोक्त के पास ही है।

अतः तीनों अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया तथा बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया एवं मुकदमा उपरोक्त में धारा 411/120बी/413 भा0दं0वि0 व 3/25 आयुध अधिनियम की बढ़ोत्तरी की गई। मोटरसाइकिल अपाचे को 207 MV.Act के तहत सीज किया गया तथा प्रकाश में आये अभियुक्त आदर्श साहू पुत्र राधेश्याम नि0 बेलिकला थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

गिरफ्तार/पुलिस संरक्षण में अभियुक्तों/बाल अपचारी का विवरण -

1.आकाश कुमार वर्मा पुत्र रामनरेश वर्मा नि0ग्राम मोहराकलां थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ उम्र 24 वर्ष

2.विपिन वर्मा पुत्र शोभनाथ वर्मा नि0ग्राम जयनगरा थाना शिवरतनगंज जिला अमेठी उम्र करीब 24 वर्ष

3.सुमित उर्फ शीबू पुत्र इन्द्रपाल नि0ग्राम मोहराकलां थाना गोसाईगंज जनपद लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष

4.बाल अपचारी

बरामदगी का विवरण-

1.एक अदद सैमसंग मोबाइल कीपैड

2.एक अदद HP कम्पनी का लैपटाप

3. 04 अदद पासबुक आर्यावर्त ग्रामीण बैंक कुरसठ

5. 01 अदद तमंचा 315 बोर

6. 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर

7. 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर

8. 02 अदद मोटरसाइकिल

9. 55,000/- रुपये नगद

गिरफ्तार करने वाली टीम

1.प्र0नि0 ज्ञानेन्द्र सिंह
2.निरीक्षक श्री सुरेश चन्द्र मिश्र
3.उ0नि0 अखिलेश मिश्र
4.उ0नि0 महेन्द्र सिंह
5.कां0 सौरभ कुमार
6.कां0 अंकित कुमार

सर्विलांस टीम-

1.हे0का0 राधेश्याम (सर्विलांस टीम)

एसओजी टीम-

1.निरीक्षक श्री शरद कुमार (प्र0 स्वाट टीम)
2.हे0का0 आशीष मिश्रा
3.हे0का0 सतेन्द्र कुमार
4.हे0का0 सुनील कुमार
5.कां0 रवि कुमार
6.कां0 गौरव कुमार
7.कां0 विकास कुमार

प्रेस नोट 02- दिनांक 16.05.2024
थाना बेहटा मुजावर,जनपद उन्नाव।

गैर इरादतन हत्या के दो वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय दक्षिणी एंव क्षेत्राधिकारी महोदय बांगरमऊ के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बेहटा मुजावर पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के वांछित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 05.05.2024 को वादी राजेश कुमार पुत्र अम्बरलाल निवासी ग्राम आसायश थाना बेहटा मुजावर जिला उन्नाव ने तहरीरी सूचना दी कि दिनांक 06.04.2024 को गाँव के ही अवधेश, सर्वेश पुत्र गण छोटेलाल व उपासना पुत्री अवधेश, रीशू पुत्र अवधेश, सुशीला पत्नी अवधेश ने आपसी कहा सुनी को लेकर मार मेरे भाई राकेश उम्र 48 वर्ष को लात घूसों व लाठी डण्डो से मारा पीटा था जिससे मेरे भाई के गम्भीर चोटे आयी। इलाज के दौरान दिनांक 03.05.2024 को मेरे भाई की मृत्यु हो गयी । इस सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 127/24 धारा 34/304 भादवि का पंजीकृत हुआ। आज दिनांक 16.05.2024 को उ0नि0 नसीमुद्दीन मय हमराह फोर्स द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अवधेश कुमार व सर्वेश कुमार नि0 आशायस थाना बेहटा मुजावर उन्नाव को गोशाकुतुब नहर पुल से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण -

1.अवधेश कुमार पुत्र स्व0 छोटेलाल उम्र करीब 42 वर्ष,
2.सर्वेश कुमार पुत्र स्व0 छोटेलाल उम्र करीब 48 वर्ष नि वासीगण ग्राम आशायस थाना बेहटा मुजावर जिला उन्नाव

गिरफ्तार करने वाली टीम

1.उ0नि0 नसीमुद्दीन
2.हे0का0 गोविन्द सिंह
3.हे0का0 सुनील सिंह

प्रेस नोट 03- दिनांक 16.05.2024
थाना बिहार,जनपद उन्नाव।

बुजुर्ग की हत्या करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उत्तरी एंव क्षेत्राधिकारी महोदया बीघापुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बिहार पुलिस द्वारा बुजुर्ग की हत्या करने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 14/15.05.2024 की रात्रि में अभियुक्त रजनेश उर्फ जुग्गू पुत्र हीरालाल यादव उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम कलानी थाना बिहार जनपद उन्नाव का अपने हीं गाँव के रामऔतार पुत्र स्व0 मैकू यादव उम्र करीब 95 वर्ष निवासी ग्राम कलानी थाना बिहार जनपद उन्नाव के साथ कुछ सामान मांगने को लेकर विवाद हुआ था, जिस पर अभियुक्त रजनेश उर्फ जुग्गू उपरोक्त द्वारा रामऔतार उपरोक्त की कुल्हाड़ी से हत्या कर शव ट्यूबवेल के कुँए में फेंक दिया गया था। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 15.05.2024 को मृतक के पुत्र श्री मन्नूलाल यादव की तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर अभियोग मु0अ0सं0 120/2024 धारा 302/201 भादवि बनाम रजनेश उर्फ जुग्गू पुत्र हीरालाल यादव उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम कलानी थाना बिहार जनपद उन्नाव के पंजीकृत किया गया।आज दिनांक 16.05.2024 को प्र0नि0 श्री शिव प्रकाश पाण्डेय मय हमराह फोर्स द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नामजद वांछित अभियुक्त रजनेश उर्फ जुग्गू पुत्र हीरालाल यादव उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम कलानी थाना बिहार जनपद उन्नाव को थाना बिहार क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सुमेरपुर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण -

1.रजनेश उर्फ जुग्गू पुत्र हीरालाल यादव उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम कलानी थाना बिहार जनपद उन्नाव

बरामदगी का विवरणः-

1.एक अदद आला कत्ल कुल्हाड़ी खूनालूद 2.दो अदद डिब्बा सादा मिट्टी खूनालूद 3.एक अदद गमछा खूनालूद 4.एक अदद एल्युमिनियम की प्लेट जिसमें खून की छींटे लगी हुयी 5.एक अदद मटका जिसमें खून की छींटे लगी हुयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1.प्र0नि0 शिवप्रकाश पाण्डेय
2.कां0 अवनीश कुमार
3.कां0 चालक दिनेश कुमार